अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल

(मध्यप्रदेश शासन के अधिनियम 2011 द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय)
शैक्षणिक भवन, मुगालिया कोट, सूखी सेवनिया, विदिशा मार्ग, भोपाल (म.प्र.)
दूरभाष : 0755–2558606, वेबसाइट : www.abvhv.edu.in, अणुडाक : abvhvbpl@gmail.com

क्रमांक/1578/गोपनीय/अबिवाहिविवि/एफ–6/2023–24 भोपाल,दिनांकः 18/03/24

प्रति,

समस्त अध्ययन केन्द्र प्रभारी
अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय,
भोपाल, म.प्र.

विषयः प्रायोगिक परीक्षाएं सम्पन्न कराने हेतु दिशा निर्देश।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों की सत्र 2022–23 की प्रायोगिक परीक्षाएं सम्पन्न करायी जानी है। जिनके सुगमता एवं सफलतापूर्वक संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते है, इन निर्देशों के अनुरूप ही प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रभारी अध्ययन केन्द्र की होगी।

1. समस्त प्रायोगिक परीक्षाएं दिनांक 30/03/2024 तक सम्पन्न कराकर प्रायोगिक अंक निर्धारित प्रपत्र में भरकर दिनांक 05/04/2024 तक आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय के गोपनीय शाखा मे जमा कराना सुनिश्चित करें।
2. प्रायोगिक परीक्षाएं विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों पर ही आयोजित की जावेगी।
3. प्रायोगिक परीक्षाओं में संबंधित अध्ययन केन्द्र के समस्त विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें।
4. उन विद्यार्थियों की परीक्षाएं करायी जायें जिन्होंने पूरा शिक्षण शुल्क विश्वविद्यालय में जमा किया हो।
5. अध्ययन केन्द्रों की परीक्षाएं सम्पन्न कराने हेतु बाह्य परीक्षकों/विषय विशेषज्ञों/शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित अर्हताओं के अनुसार अध्ययन केन्द्र संचालित करने वाले संस्था/समिति के अध्यक्ष/सचिव एवं केन्द्र प्रभारियों द्वारा की जावेंगी। जिन बाह्य परीक्षकों/विषय विशेषज्ञों/शिक्षकों से परीक्षाएं सम्पन्न करायी जानी है उनका विवरण विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये प्रपत्र जो परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है उसमें प्रविष्ट करना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात ही विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों में प्रायोगिक सम्पन्न करवायी जायें। यदि बाह्य परीक्षक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्हताओं की पूर्ति करते हुए नहीं पाये गये तो ऐसे अध्ययन केन्द्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. अध्ययन केन्द्रों की प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु बाह्य परीक्षकों/विषय विशेषज्ञों की अर्हतायें निम्नानुसार हागी।
   1. बाह्य परीक्षक संबंधित विषय अथवा संबंधित संकाय के ही हों यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रायोगिक परीक्षा के लिए अलग–अलग बाह्य परीक्षक आमंत्रित किए जावें।
   2. चिकित्सीय पाठ्यक्रमों हेतु बाह्य परीक्षक/विषय विशेषज्ञ चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय में ही विधिवत रूप से शैक्षणिक पद पर नियुक्त हो यह सुनिश्चित करें।

3. चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में 80 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा बाह्य परीक्षकों से तथा 20 अंकों की आंतरिक परीक्षा के अंक अध्ययन केन्द्र प्रभारी द्वारा अलग–अलग पर्ण/प्रतिपर्ण पर अंकित कर विश्वविद्यालय को प्रेषित करना होंगे।
4. बाह्य परीक्षक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में विधिवत रूप से नियुक्त हों।
5. बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति में प्राथमिकता का क्रम।
   - शासकीय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय एवं निजी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक।
   - शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के शिक्षक।

7. बाह्य परीक्षक यथा सम्भव स्थानीय हो यह सुनिश्चित करें।
8. बाह्य परीक्षक एवं आंतरिक परीक्षकों को देय राशि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार अध्ययन केन्द्र संचालित करने वाली संस्था/समिति द्वारा वहन की जायेगी। इन्हें शासन के नियमानुसार यात्रा भत्ता अध्ययन केन्द्र द्वारा देय होगा। विश्वविद्यालय द्वारा इसका भुगतान नहीं किया जायेगा।
9. विद्यार्थियों को प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए उत्तरपुस्तिकाएं अध्ययन केन्द्र द्वारा ही उपलब्ध करायी जायेगी। उत्तरपुस्तिकाओं का मुख्य पृष्ठ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है जो परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। इसके अनुरूप ही उत्तरपुस्तिका के प्रिंट निकाल कर परीक्षार्थी को दें।
10. बाह्य परीक्षक को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दर के अनुसार 15 रूपये प्रति परीक्षार्थी या न्यूनतम 500/– (पाँच सौ रूपये) रूपये अध्ययन केन्द्र द्वारा देय होगा।
11. परीक्षा सम्पन्न कराने के पश्चात् अध्ययन केन्द्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उपस्थिति पत्रक एवं पर्ण–प्रतिपर्ण में ही छात्रों के अंक तथा उपस्थिति निर्धारित तिथियों में भेजें। पर्ण–प्रतिपर्ण एवं उपस्थिति पत्रक परिशिष्ट–3 पर संलग्न हैं।

Chitr

(डॉ. चित्रलेखा सोनी (कड़ेल))
परीक्षा नियंत्रक
अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी वि.वि

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव के माध्यम से मा. कुलपति जी को सूचनार्थ।
2. निज सचिव के माध्यम से मा. कुलसचिव जी को सूचनार्थ।
3. निदेशक अध्ययन केन्द्र, को सूचनार्थ।

Chitr

परीक्षा नियंत्रक
अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी वि.वि